भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India
TRAI

दिशा-निर्देश

दिनांक: 24 जनवरी, 2022

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ पठित धारा 13 के तहत, दूरसंचार सेवा (प्रसारण एवं केबल) इंटरकनेक्शन विनियम (एड्रेसेबल सिस्टम), 2017 दिनांक 3 मार्च, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को निर्देश।

सं. डी-1/2/(1)/2022-बी और सीएस(2): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण [इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित], भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) [इसके बाद "के रूप में संदर्भित" भादूविप्रा अधिनियम"] के तहत स्थापित किया गया है, दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कार्यों का निर्वहन सौंपा गया है; जैसे सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-कनेक्टिविटी के नियम और शर्तें तय करना; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों रक्षा हो सके;

2. और जबकि केंद्र सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में अपनी अधिसूचना संख्या 39 के तहत, ---
(क) भादूविप्रा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के प्रावधान द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया है और
(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या एस.ओ.44 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 2004 के तहत प्रकाशित---
प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं के लिए एक नया नियामक ढांचा अधिसूचित किया, जो एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली/(Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स/Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं0/EPBX No. : +91-11-23664145

(क) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम,2017 (2017 का 1) दिनांक 3 मार्च, 2017 (इसके बाद "इंटरकनेक्शन विनियम" के रूप में संदर्भित);

(ख) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (2017 का 2) दिनांक 3 मार्च, 2017 (इसके बाद "क्यूओएस विनियम" के रूप में संदर्भित); तथा

(ग) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2017 (2017 का 1) दिनांक 3 मार्च 2017, [इसके बाद "टैरिफ आदेश " के रूप में संदर्भित];

4. और जबकि प्राधिकरण ने अपने प्रेस नोट दिनांक 3 जुलाई, 2018 के माध्यम से हितधारकों को सूचित किया कि इंटरकनेक्शन विनियमों, क्यूओएस विनियमों और टैरिफ आदेश में निर्धारित विभिन्न समय-सीमाएं 3 जुलाई, 2018 से शुरू होंगी;

5. और जबकि नया नियामक ढांचा, जिसमें इंटरकनेक्शन विनियम, क्यूओएस विनियम और टैरिफ आदेश शामिल हैं, 29 दिसंबर, 2018 से लागू हो गए हैं;

6. और जबकि, प्राधिकरण ने दिनांक 01.01.2020 को उपरोक्त विनियमों में संशोधन किया और निम्नलिखित को अधिसूचित किया:-

(क) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 1);

(ख) सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 2) के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा मानक; तथा

(ग) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 (2020 का 1);

7. और जबकि इंटरकनेक्शन विनियमों के विनियम 18, यथा संशोधित, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है:-

"18***. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों को सूचीबद्ध करना -*** *((1) प्रत्येक प्रसारक अपने चैनलों की शैली की घोषणा करेगा और ऐसी शैली या तो 'भक्ति' या 'सामान्य मनोरंजन' या 'इन्फोटेनमेंट' या 'किड्स' या 'मूवीज़' या 'म्यूज़िक' या 'न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स' या 'स्पोर्ट्स' या 'विविध' होगी।*

(2) वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में इस तरह से रखे कि एक शैली में एक विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनल लगातार एक साथ प्रदर्शित हों और एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर प्रदर्शित होगा।

(3) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक अद्वितीय चैनल नंबर निर्दिष्ट करेगा।";

8. और जबकि क्यूओएस विनियमों का विनियम 38, जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित है, निम्नानुसार है:-

"***38. ईपीजी में चैनलों का प्रदर्शन।-*** *(1) टेलीविजन चैनलों के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में इस तरह से प्रदर्शित करे कि एक शैली में एक विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनल लगातार एक साथ प्रदर्शित हों और एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर दिखाई देगा.*";

9. और जबकि प्राधिकरण ने दिनांक 17.09.2020 के पत्र के माध्यम से सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक अद्वितीय चैनल नंबर निर्दिष्ट करने और टेलीविजन चैनलों की शैली को दर्शाने से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है जैसा कि प्रसारक द्वारा इंटरकनेक्शन समझौते में घोषित किया गया है, और उक्त पत्र के साथ संलग्न तरीके और प्रारूप में उसके संबंध में डेटा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने कहा है।

10. और जबकि प्राधिकरण ने उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में मल्टी सिस्टम आपरेटरों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया था, और देखा कि कुछ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अभी भी इंटरकनेक्शन विनियमों के विनियम 18 और क्यूओएस विनियमों के विनियम 38 के उक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं;

11. इसलिए, अब प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ पठित), इसके द्वारा सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, डीटीएच ऑपरेटर्स, एचआईटीएस ऑपरेटर और आईपीटीवी ऑपरेटरों) को निर्देश देता है कि:-

(क) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियम 18 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के सेवा मानकों के विनियम 38, का अनुपालन सुनिश्चित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक शैली में एक विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में लगातार एक साथ प्रदर्शित होते हैं और एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर दिखाई देता है, और

(ख) इस निर्देश के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से interconnect-bcs@trai.gov.in पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ह./-
(सपना शर्मा)
संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)

प्रति,

सभी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, डीटीएच ऑपरेटर्स, एचआईटीएस ऑपरेटर्स और आईपीटीवी ऑपरेटर्स)